पटना में दिनांक–25 नवम्बर, 2026 बुधवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के 17 (सत्रह) प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पदों का सृजन एवं आवर्ती व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना'' का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 01 अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹16451.60 लाख (एक सौ चौसठ करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

3. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु नालंदा जिला के अंचल–इस्लामपुर अन्तर्गत मौजा–ब्रहगांवा, थाना नं०–72 में रकबा–564.37 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की कुल राशि रू० 3,82,23,46,306.00 (तीन अरब बेरासी करोड़ तेईस लाख छियालीस हजार तीन सौ छः) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

4. बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु समस्तीपुर जिला अन्तर्गत अंचल–खानपुर के मौजा–सिवैसिंगपुर, थाना नं०–232, रकवा–144 एकड़, मौजा–नत्थुद्वार, थाना नं०–229, रकवा–318 एकड़ एवं मौजा–विशनपुर आभी, थाना नं०–220 रकवा–18 एकड़, अर्थात कुल समेकित रकवा–480 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रू० 2,61,91,98,318.00 (रूपये दो अरब एकसठ करोड़ एकानवें लाख अन्ठानवें हजार तीन सौ अठारह) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

5. उद्योग विभाग का संकल्प ज्ञापांक–4002 दिनांक–26.08.2025 को निरस्त करते हुए शेखपुरा जिला अन्तर्गत अंचल–चेवाड़ा के मौजा–हंसापुर, थाना नं०–07, रकबा–71 एकड़, मौजा–अस्थावाँ, थाना नं०–04, रकबा–135 एकड़ एवं मौजा बेंगुचा, थाना नं०–03, रकबा–44 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा–250 एकड़ भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की कुल राशि रू० 62,37,37,100.00 (बासठ करोड़ सैतीस लाख सैतीस हजार एक सौ) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

खेल विभाग

6. राज्य खेल संघ अनुदान मार्गदर्शिका, 2026 को बिहार राज्य में प्रभावी किये जाने की स्वीकृति एवं उक्त मार्गदर्शिका के अंतर्गत निर्धारित पात्रता एवं वित्तीय सीमा के अनुरूप बिहार राज्य के सभी खेल संघों को प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10,00,00,000/–(दस करोड़) रूपये मात्र अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

7. बिहार खजिन (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

8. औरंगाबाद एवं रोहतास जिला के औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम क्षेत्रों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 2014.65 करोड़ रूपये (दो हजार चौदह करोड़ पैंसठ लाख रूपये मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

8. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत पटना जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 17,94,32,33,900/–(एक हजार सात सौ चौरानवे करेाड़ बत्तीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

10. राज्य के प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय के लिए पूर्व से निर्धारित राशि ₹4000.00 (चार हजार रूपये) प्रतिवर्ष को दिनांक–01.04.2027 के प्रभाव से ₹24000.00 (चौबीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (निदेशालय सहित) में विभागीय योजनाओं को मुख्यालय स्तर पर प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने में सहयोग हेतु विभाग (निदेशालय सहित) में कनीय सचिवालय सहायक के 08 पद एवं वरीय सचिवालय सहायक के 09 पद अर्थात कुल–17 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं सम्भावित वार्षिक व्यय रू० 90,89,520/–(रू० नब्बे लाख नवासी हजार पांच सौ बीस) मात्र की स्वीकृति। **11. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

12. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय यथा–उपनिदेशक/जिला/अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं विभाग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित संस्थानों में लिपिकीय संवर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु ''बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) नियमावली, 2026'' के गठन की स्वीकृति। **12. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

13. राज्य स्कीम के तहत प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू०पी०एस०सी०/बी०पी०एस० सी०, SSC, Banking, रेलवे इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु पूर्व से ऑफलाईन माध्यम से संचालित सभी 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान पर राज्य के सभी जिलों मे एक–एक अर्थात् कुल 38 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हाईब्रिड मोड (ऑनलाईन /ऑफलाईन) में निविदा/अभिरूचि आमंत्रण के द्वारा चयनित कोचिंग संस्थान के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रति वर्ष कुल अनुमानित राशि रू० 31,97,83,680/–(रू० इक्तीस करोड़ संतानवे लाख तेरासी हजार छः सौ अस्सी) मात्र के व्यय की स्वीकृति। **13. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. किशनगंज जिलान्तर्गत अंचल–ठाकुरगंज के विभिन्न मौजा, थाना, खाता एवं विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकवा–11.884 डी० गैरमजरूआ खास बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) पर 19वीं एवं 41वीं वाहिनी एस०एस०बी० के वॉच टॉवर निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–4,38,063/–(चार लाख अड़तीस हजार तिरसठ रूपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. डा० अनामिका कुमारी (कोटि क्रमांक–G4701/2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा को दिनांक–16.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. डा० राकेश कुमार निराला (कोटि क्रमांक–S829/2025), विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), सदर अस्पताल, भागलपुर को दिनांक–12.11.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. डा० सिद्धार्थ कुमार सुमित (कोटि क्रमांक–G4670/2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा, सुपौल को दिनांक–15.09.2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

18. डा० गोपीनाथ भगत (कोटि क्रमांक–S1416/2025) चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) सदर अस्पताल, भागलपुर को दिनांक–20.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **18. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

19. डा0 अमित कुमार (कोटि क्रमांक–G6435/2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ममलखा, सबौर, भागलपुर को दिनांक–01.10.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

20. डा० रवि रंजन (वरीयता क्रमांक–500798/2019), चिकित्सा पदाधिकारी (दंत), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरौना, सुपौल को दिनांक–27.09.2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

21. डा० मो० शाहनवाज कौसर (वरीयता क्रमांक–S1570/2025), चिकित्सा पदाधिकारी (शिशु रोग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा, सुपौल को दिनांक–19.12.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

22. डा० सुमित कुमार (कोटि क्रमांक–G6671/2025), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सजौर, शाहकुण्ठ, भागलपुर को दिनांक–25.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

23. डा० प्रसुन विवाकर (कोटि क्रमांक–G1688/2025) सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोलहट्टी, बौंसी, बांका को दिनांक–05.02.2018 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

24. डा० रेखा कुमारी (कोटि क्रमांक–S609/2025), चिकित्सा पदाधिकारी, (मूर्च्छक) सदर अस्पताल, मधेपुरा को दिनांक–26.11.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

25. डा० अरूण कुमार (वरीयता क्रमांक–501010/2019), चिकित्सा पदाधिकारी (दंत) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौहट्टा, सहरसा को माह अप्रैल 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी से बर्खास्त करने के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

26. बिहार मेडिकल फिजिसिस्ट–सह–रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) संवर्ग नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

27. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत बिहार प्रोस्थेटिस्ट एवं आर्थोटिस्ट संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु ''बिहार प्रोस्थेटिक एवं आर्थोटिक्स गैर शैक्षणिक संवर्ग नियमावली, 2026'' के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

28. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के परिसर अवस्थित स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट हेतु सीनियर टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोथेरापी) के 2 पद एवं चीफ टेक्निकल ऑफिसर (रेडियोथेरापी) के 2 पद अर्थात कुल–4 पदों के सृजन की स्वीकृति। **28. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

29. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के लिए कुल–64 शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **29. स्वीकृत।**

गृह विभाग

30. लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल (STF) के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–12690, दिनांक–04.10.2025 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की अवधि को एक वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

31. बिहार फाउंडेशन के माध्यम से ''बिहार है तैयार (Bihar Hai Taiyaar) अभियान एवं बिहार बिजनेस कनेक्ट–2027 के प्रचार–प्रसार से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु M/s Rediffusion का बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131ज्ञ(त) के प्रावधानों के अंतर्गत नामांकन (Nomination) के आधार पर दिनांक–01.12.2026 से 28.02.2027 तक, कुल तीन माह की अवधि के लिए ₹1,23,00,000/–(एक करोड़ तेईस लाख रूपये मात्र) + GST की कुल प्रोफेशनल फीस पर चयन किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। **31. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

32. पटना में बिहार संग्रहालय के सामने नेहरू पथ एवं मैगल्स रोड अवस्थित भूखंड को आईकॉनिक ट्रेड सेन्टर/वाणिज्यिक भवन/कार्यालय भवन/आवासीय भवन के रूप में विकसित करने हेतु एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131ज्ञ (छ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन की स्वीकृति के साथ–साथ भवन निर्माण विभाग एवं एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति। **32. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

33. पथ प्रमंडल झंझारपुर अंतर्गत मधेपुर–तुमरिया–अंधराठाढ़ी –रामपुर–भूपट्टी पथ के चैनेज कि०मी० 0+000 से कि०मी० 39+210 (कुल लंबाई 39.210 कि०मी०) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि रू० 19294.28 लाख (रूपये एक सौ बेरानवें करोड़ चौरान्वें लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **33. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

34. बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद् के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **34. स्वीकृत।**